हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामिल में जारी हुये

दिनांक 4-6-2019

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाजों के बावजूद वकील वादी अनु०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में दिनांक 26-3-2015 से प्रतिवादी सं 1,2,4 की तलबी के लिये P/F सम्मन प्रस्तुती के लिये वकील वादी को निर्देशित किया जा चुका है। इस प्रकार बार-बार आदेशों के उपरान्त वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं 1,2,4 की तलबी के लिये P/F, सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः वाद वादी आदेश -09 नियम-02 CPC के प्रावधानों अनुसार न्यायालय आदेश की ~~अवमानना~~ पालना में विफल रहने से वाद वादी खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कमती हो।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली